राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....1754/2016.....जिला.....जयपुर.....

बैंक ऑफ नोवा स्कोटिया, 13 मक्कर चैम्बर, नरीमन पॉईट, मुम्बई बनाम 1. अपील प्राधिकारी प्रथम, जयपुर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–पी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.08.2016	**खण्डपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य** अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री वी.के.पारीक एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री डी.पी.ओझा उपस्थित। यह अपील अपीलीय प्राधिकारी प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.06.2016 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा विवादित मांग राशि रू0 21,17,944/– पर चाहा गया स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर दिया एवं स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने राशि रू0 21,17,944/– की वसूली को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित रखे जाने का निवेदन करते हुए यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। उभयपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने तर्क प्रस्तुत किया कि व्यवहारी द्वारा स्वर्ण धातु का क्रय–विक्रय किया जाता है। जिसके भाव दिन–प्रतिदिन घटते बढते रहते है। इसके भाव अन्तराष्ट्रीय बाजार से नियन्त्रित होते है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बाजार में स्वर्ण धातुओं के भावों के उतार–चढाव को नजरअंदाज करते हुए भावों में आयी मंदी के कारण हुये घाटे को विक्रय मानते हुए करारोपण किया है, जो कि अविधिक है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि व्यवहारी को आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये अवसर प्रदान नहीं किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 23(1) एवं 24(3)(बी) के तहत वर्ष 2013–14 के लिये मांग राशि रूपये 22,01,970/– का आरोपण किया, जिससे व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.06.2016 द्वारा चाहे गये स्थगन राशि रूपये 21,17,944/– की वसूली पर आवेदित स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया, जिसका कोई युक्तियुक्त कारण अपने आदेश में अंकित नहीं किया है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अविधिक बतलाते हुए मांग राशि लगातार.....2	

रू0 21,17,944/– को अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय तक स्थगित करने का अनुरोध किया। अपने तर्कों के समर्थन में उन्होंने न्यायिक दृष्टान्त (2014) 72 वीएसटी 161 (एम. पी.) गेल इण्डिया लि0 बनाम मध्यप्रदेश सरकार आदि प्रस्तुत किया।

उप राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.06.2016 का समर्थन करते हुए प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन विभाग के पक्ष में प्रतीत होने के फलस्वरूप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन किया। व्यवहारी द्वारा स्वर्ण धातु का क्रय–विक्रय किया जाता है। जिसके भाव दिन–प्रतिदिन घटते बढते रहते है। इसके भाव अन्तराष्ट्रीय बाजार से नियन्त्रित होते है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा भावों में कमी के कारण हुये घाटे को, विक्रय मानकर करारोपण किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है चूंकि प्रकरण अपीलीय अधिकारी के पास निर्णय हेतु लम्बित है। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन करने एवं तथ्यों का भलीभांति अध्ययन करने के पश्चात प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना प्रकरण में वसूली योग्य बकाया मांग राशि रूपये 21,17,944/– की वसूली पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक अथवा 3 माह जो भी पहले हो, तक रोक लगाई जाती है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप (Adequate Security) 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगे। शर्त का उल्लंघन करने पर उक्त आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा। अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के तीन माह में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें ।

7. अपील का निस्तारण उपर्युक्तानुसार किया जाता है।

8. आदेश प्रसारित किया गया।

23/08/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

23.8.2016

(मदन लाल)
सदस्य